कार्यालय आबकारी, मनोरंजन एवं विलासता कर
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
एल ब्लाक, विकास भवन, दिल्ली–110002

अतारांकित प्रश्न संख्या :– **311**

दिनॉक :– 26.03.2018

प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री पंकज पुष्कर

क्या उपमुख्यमंत्री/ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या यह सत्य हैं कि स्कूल और धार्मिक स्थलों के पास एक निश्चित दूरी के अन्तर्गत शराब की दुकानों को लाईसेन्स नहीं दिए जा सकते,	जी हॉ। इन स्थलों से दूरी का निर्धारण दिल्ली आबकारी नियम, 2010, के नियम 51(1) के अनुसार किया जाता हैं। नियम की प्रति **संलग्नक "क"** पर हैं।
(ख) यदि हॉ, तो तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत हडसन लेन, विजयनगर के पास नगर निगम के प्राथमिक स्कूल के गेट के एकदम पास शराब और बार के लाईसेन्स क्यों दिए गए हैं,	हडसन लेन, विजयनगर के पास नगर निगम के प्राथमिक स्कूल के पास बार के लाईसेंस दिल्ली आबकारी नियम, 2010, के नियम 51(1) के अनुसार दियें गयें हैं।
(ग) क्या यह सत्य है कि उक्त संदर्भ में प्राथमिक स्कूलों को स्कूल नहीं माना जाता,	जी हॉ।
(घ) यदि हॉ, तो इस नीतिगत विसंगति को दूर करने के मामले में सरकार की क्या योजना हैं,	नियम 51(1) के प्रावधानों पर फिलहाल संशोधन की कोई योजना नहीं हैं।
(च) क्या यह सत्य है कि घनी आबादी के बीच स्थित शराब की दुकानों से स्थानीय निवासियों को परेशानी होती है और उनके जीवन पर बुरा असर पड़ता हैं,	दिल्ली में शराब की दुकानों के लाईसेन्स तथा उनका अस्तित्व दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009, दिल्ली आबकारी नियम, 2010, तथा लागू शर्तो के अनुसार हैं।
(छ) स्थानीय लोगों के विरोध की स्थिति में इन दुकानों को स्थानान्तरित करने या बन्द करने की सरकार की क्या नीति है,	दुकानों को नियम 22(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थानातरित किया जाता हैं।
(ज) क्या यह सत्य है कि शराब की दुकानों को लाईसेन्स देने में स्थानीय निवासियों की राय/अनुशंसा को नीति में स्थान देने के मामले में सरकार पहल कर रही हैं,	लाईसेंस देने की प्रकिया नियम अधिनियम के अनुसार की जाती हैं। फिलहाल स्थानिय निवासीयों की राय/अनुशंशा को नीति में स्थान देने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।
(झ) यदि हॉ तो उसका पूर्ण विवरण क्या हैं?	उपरोक्त ज के सन्दर्भ में लागू नहीं हैं।

Commissioner, Excise, Entt. & Luxury Tax
Vikas Bhawan, New Delhi-2

49. ऐसी परिस्थिति में लाइसेंस शुल्क का रिफंड जब विलम्ब लाइसेंस धारक के कारण न हुआ हो

(1) अगर किसी लाइसेंस के लिए लाइसेंस शुल्क का स्वरूप वार्षिक हो और लाइसेंस वित्त वर्ष प्रारंभ होने के बाद दिया गया हो, तो सरकार, अगर वह इस बात से संतुष्ट हो कि विलम्ब लाइसेंसधारक के कारण नहीं हुआ है, देय शुल्क में उतनी राशि के बराबर छूट दे सकती है, जो लाइसेंस प्रदान करने से पहली तिमाही के लिए आनुपातिक राशि से अधिक न हो।

(2) जब कोई लाइसेंस किसी ऐसे कारण से रद्द किया गया हो, जो लाइसेंस की शर्तें, भंग किए जाने से भिन्न हो, तो लाइसेंसधारक को लाइसेंस की शर्त के अनुसार बकाया देय शुल्क के भुगतान से माफ किया जा सकता है और यदि शुल्क का भुगतान अग्रिम कर दिया गया हो, तो लाइसेंस की शेष अवधि के लिए आनुपातिक शुल्क रिफंड किया जायेगा।

50. सभी लाइसेंसों पर लागू सामान्य शर्तें

इन नियमों के अंतर्गत प्रत्येक लाइसेंस इस शर्त के अधीन प्रदान किया जायेगा कि लाइसेंसधारक अधिनियम, इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, अपने लाइसेंस के नियमों एवं शर्तों और समय-समय पर जारी आबकारी आयुक्त के आदेशों का अनुपालन करेगा और इस तरह के अनुपालन के लिए निर्दिष्ट रूप में निर्दिष्ट पद्धति से और निर्दिष्ट राशि के लिए प्रत्याभूति प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, यदि लाइसेंस प्रदान करने वाला प्राधिकारी चाहे, तो लाइसेंसधारक प्रतिभू सहित या उसके बिना उतनी राशि के लिए व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करेगा, जितनी कि सम्बद्ध प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए वांछनीय हो।

51. लाइसेंसीकृत परिसरों से सम्बद्ध शर्तें

(1) भारतीय शराब, विदेशी शराब या देसी शराब की कोई खुदरा दुकान निम्नांकित के एक सौ मीटर के दायरे में नहीं होगी:-

(क) प्रमुख शैक्षिक संस्थान,

(ख) धार्मिक स्थल,

(ग) 50 और उससे अधिक बिस्तर वाले अस्पताल:

परन्तु, खंड (ग) में वर्णित शर्त परिसर "पर" शराब के सेवन संबंधी खुदरा दुकान पर लागू नहीं होगी:

परन्तु, यह और भी कि सौ मीटर की शर्त उन लाइसेंसों पर लागू होगी जो इन नियमों के प्रवृत्त होने के बाद प्रदान किए जायेंगे:

परन्तु, अगर कोई प्रमुख शैक्षिक संस्थान, धार्मिक स्थल अथवा 50 या इससे अधिक बिस्तर वाला अस्पताल भारतीय शराब, विदेशी शराब या देसी शराब की खुदरा दुकान की स्थापना के बाद अस्तित्व में आयेगा, तो उपरोक्त दूरी संबंधी प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण 1 : उपरोक्त खंड (क) के प्रयोजन के लिए प्रमुख शैक्षिक संस्थानों से अभिप्राय: है मिडॅल और हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थान।

स्पष्टीकरण 2 : उपरोक्त खंड (ख) के प्रयोजन के लिए, एक धार्मिक स्थान से निहितार्थ है 400 वर्ग फुट से अधिक आच्छादित क्षेत्र वाला पक्का ढांचा।

स्पष्टीकरण 3 : दूरी के नाम का अर्थ है लाइसेंस के लिए प्रस्तावित परिसर के वास्तविक मुख्य प्रवेश/द्वारा के मध्य बिन्दु से उपरोक्त खंड (क), (ख) और (ग) में वर्णित भवन या स्थलों के वास्तविक मुख्य द्वार/प्रवेश मार्ग के मध्य बिन्दु तक की पारणीय दूरी।

(2) लाइसेंसधारक अपने लाइसेंस में निर्दिष्ट परिसरों, जिसे यहां बाद में "लाइसेंसीकृत परिसरों" कहा गया है, के सिवाय, अन्यत्र कहीं भी अपने लाइसेंस से संबंधित कोई व्यापार अथवा लाइसेंस के अंतर्गत बेचने के लिए कोई शराब स्टोर नहीं करेगा या उसका अन्यथा लेन-देन नहीं करेगा। परन्तु, आबकारी आयुक्त, किसी मामले में लाइसेंसीकृत परिसर से भिन्न परिसर में शराब स्टोर करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। यह अनुमति निर्धारित शुल्क का भुगतान किए जाने पर दी जायेगी और केवल ऐसे मामलों में दी जायेगी, जिनमें लाइसेंसीकृत परिसरों में अपेक्षित स्टॉक स्टोर करना अव्यावहारिक हो। मंजूरी देने से पहले आबकारी आयुक्त स्वयं को इस बात से संतुष्ट करेगा कि प्रस्तावित स्थान भली-भांति सुरक्षित है और लोगों के उसमें दाखिल होने का कोई माध्यम नहीं है।

(3) लाइसेंसीकृत परिसर की स्थापना और रख-रखाव लाइसेंसधारक द्वारा स्वयं की लागत पर किया जायेगा।

(4) आबकारी आयुक्त की अनुमति के सिवाय, शराब की बिक्री और स्टोरेज संबंधी किसी भी लाइसेंसीकृत परिसर का इस्तेमाल किसी अन्य व्यापार के लिए नहीं किया जायेगा। एक से अधिक लाइसेंस रखने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थानों को अपने व्यापार के लिए अनिवार्यत: पृथक परिसर रखने होंगे। प्रत्येक लाइसेंस के अंतर्गत की गई बिक्री के लिए पृथक लेखा रखा जायेगा:

परन्तु, शराब के लाइसेंस के अंतर्गत बिक्री के लिए पृथक लेखा रखने संबंधी प्रावधान को छोड़कर, यह उपनियम प्रारूप एल-12 में लाइसेंस रखने वाले डिपार्टमेंटल स्टोर पर लागू नहीं होगा।